

**File No.12/39/2012-100PercentEOU**

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नोएडा वि.शेष आर्थिक क्षेत्र  
नोएडा दादरी रोड, फेज-II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर.

**नोएडा वि.शेष आर्थिक क्षेत्र**

**दिनांक 03.02.2023 को अपराह्न 12.30 बजे श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई 100% ईओयू से सम्बंधित यूनिट अनुमोदन समिति की दूसरी बैठक (2023 सीरीज) का कार्यवृत्त**

ईओयू स्कीम हेतु इकाई अनुमोदन समिति की दूसरी बैठक (2023 सीरीज) दि.नांक 03.02.2023 को श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा, एनएसईजेड की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक, ऑनलाइन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मालिक, संयुक्त विकास आयुक्त
2. श्री किरण मोहन मोहदि कर, उप विकास आयुक्त
3. श्री प्रशांत डालमिया, उप आयुक्त, सी माशुल्क नोएडा
4. श्री चमन लाल, एफटी डीओ, कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली.

इसके अतिरिक्त, यूएसी की बैठक के दौरान यूएसी की सहायता के लिए श्री सुनील गुल्यानी, स्टेनोग्राफर भी उपस्थित थे।  
2. अध्यक्ष महोदय द्वारा यूएसी के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात्, कार्यसूची पर विचार-विमर्श शुरू हुआ।

2.01 (2023) दि.नांक 06.01.2023 को हुई इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के मिनट्स का रेटिफिकेशन

चूंकि दि.नांक 06.01.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, अतः दि.नांक 06.01.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्तों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

**2.02 (2023) मैसर्स ईएक्सएल सर्विस. कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के ए-94/5 और ए-94/6, सेक्टर-58 नोएडा-201301 में स्थित अतिरिक्त स्थान के समर्पण का प्रस्ताव**

समिति को सूचित किया गया था कि:- ईएक्सएल सर्विस.कॉम (India) Pvt Ltd को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सेवाओं के लिए LOP No 42(1999)EPC/50/99 दि.नांक 14.08.1999 जारी किया गया है। अभिलेखों के अनुसार, इकाई के उत्पादन के प्रारंभ होने की तिथि 27.03.2000 है। इकाई का मौजूदा पांच साल का ब्लॉक 31.03.2025 तक वैध है और इकाई ने सकारात्मक एनएफई (NFE) बनाए रखा है।

2) दि.नांक 12.08.2022 के पत्र के माध्यम से, इकाई ने ए-94/5 और ए-94/6, सेक्टर-8, नोएडा-201301 स्थित अतिरिक्त स्थान के अभ्यर्पण/डेबंडिंग के लिए आवेदन किया था और कहा था कि उन्होंने पुनर्गठन और विभिन्न ग्राहकों की

*सुरेन्द्र मालिक*

**File No.12/39/2012-100PercentEOU**

प्रक्रियाओं/परियोजनाओं के समेकन की योजना बनाई है जिसके कारण वह A-94/5 और A-94/6, सेक्टर-58, नोएडा-201301 को अभ्यर्पण करने का निर्णय लिया। -

3) ए-94/5 और ए-94/6, सेक्टर-58, नोएडा-201301 में स्थान के अभ्यर्पण/डिबॉन्डिंग के लिए इकाई का अनुरोध क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क कार्यालय, नोएडा को इस कार्यालय पत्र दिनांक 27.01.2021 को अप्रेषित करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था कि साइट निरीक्षण रिपोर्ट और एलओपी (LOP) से उक्त स्थान को हटाने के लिए "कोई बकाया नहीं" भेजा जाए।

4) पत्र सी.सं. VIII(30)/Cus/EPC-1/Noida/EXLA-94,Sec- /57 /18 /950 दिनांक 29.12.2022, अधीक्षक (सीमा शुल्क), निर्यात संवर्धन सर्कल, C-56/42, सेक्टर- 62, नोएडा ने बताया कि " मैसर्स ईएक्सएल सर्विस.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ए-94/5 और ए-94/6, सेक्टर-58, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश) ने पहले ही आयातित शुल्क मुक्त माल को डी-बॉन्ड कर दिया है या स्थानांतरित कर दिया है। अधिसूचना संख्या 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2003 के अनुसार उनकी अन्य 100% ईओयू इकाई और उनके कार्यालय को ए-94/5 और ए-94/6 पर स्थान हटाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, एलओपी से सेक्टर-58, नोएडा-201301 और उनके रिकॉर्ड के अनुसार पार्टी के खिलाफ आज तक कोई सरकार बकाया नहीं है"।

5) श्री रमन भसीन और श्री एस.पी. सिंह, यूनिट के प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने दोहराया कि उन्होंने विभिन्न ग्राहकों की प्रक्रियाओं/परियोजनाओं के पुनर्गठन और समेकन की योजना बनाई है और पाया है कि वे ए-94/5 और ए-94/6, सेक्टर- 58, नोएडा- 01301 और ए-94/5 और ए-94/6, सेक्टर-58, नोएडा-201301 स्थित स्थान को अभ्यर्पण /डी-बांड करने का निर्णय लिया।

6) यूएसी (UAC) ने नोट किया कि प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पैरा 6.34 (7) के अनुसार, विकास आयुक्त एलओपी (LOP) में उल्लिखित स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन की अनुमति दे सकता है और/या अतिरिक्त स्थान शामिल कर सकता है बशर्ते कि अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव न हो। अनुमोदन है परिकल्पना की गई है और वह नया स्थान विकास आयुक्त / नामित अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अतिरिक्त स्थान का समर्पण/विलोपन इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या नहीं। कमिटी ने नोट किया कि एलओपी में उल्लिखित स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान बदलने के बाद पहले वाले स्थान को वापस कर दिया जाएगा।

7) यह नोट किया गया था कि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 6.32 (बी) के अनुसार, ईओयू के यूएसी की शक्तियाँ और कार्य निम्नानुसार होंगे: -

(viii) "ईओयू की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करने के लिए।"

8) इसके अलावा, कमिटी ने कहा कि इकाई ने सकारात्मक एनएफई बनाए रखा है। उपरोक्त स्थान के समर्पण के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.18 में उल्लिखित बाहर निकलने की प्रक्रिया का भी पालन किया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क ने परिसर का दौरा किया और एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की और सूचित किया कि उनके कार्यालय को ए- पर स्थान को हटाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। 94/5 और ए-94/6, सेक्टर-58, नोएडा-201301 क्योंकि आज तक पार्टी के खिलाफ कोई बकाया राशि लंबित नहीं है।

8) विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-2020 के पैरा 6.18(ई), प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पैरा 6.32(बी)(viii) और पैरा 6.34(7) के संयुक्त पठन से, समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और सर्वसम्मति मौजूदा LOP नंबर PER/42(1999)/EPC/50/99 दिनांक 14.08.1999 से A-94/5 और A-94/6, सेक्टर-58, नोएडा- 201301 पर स्थान का विलोपन को मंजूरी दी।

सुरेंद्र मलिक

**2.03 (2023) ए-38, ए, बी और सी, सेक्टर 64, नोएडा स्थित मौजूदा 100% ईओयू सुविधा से गेट नंबर 3, प्लॉट ए-38सी के ग्राउंड फ्लोर से 2000 वर्ग फुट पर अतिरिक्त स्थान के समर्पण का प्रस्ताव।**

बारको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को सभी प्रकार के प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर के पुर्जे, इंटरफ़ेस, स्विचर और उसके पुर्जे, घाव के घटक संरचना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आईटी और डिजाइन सेवाएं, पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सब-असेंबली, स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन (वर्कस्टेशन, कंट्रोलर आदि सहित), पुर्जे स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन (वर्कस्टेशन, कंट्रोलर आदि सहित), परीक्षण उपकरण को मापना / जांचना / फिक्सचर और उसके पुर्जे, रग्गाडाइज्ड डिस्प्ले यूनिट, वीडियो वॉल/डिस्प्ले वॉल सिस्टम/लार्ज स्क्रीन प्रोजेक्शन सिस्टम/लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले सिस्टम/वीडियो वॉल सिस्टम/डेटा वॉल सिस्टम/लार्ज वीडियो स्क्रीन सिस्टम/वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम और उसके पुर्जे के निर्माण के लिए एलओपी संख्या 01/170/2000-100% ईओयू दिनांक 10.03.2000 जारी किया गया है। अभिलेखों के अनुसार, इकाई के उत्पादन के प्रारंभ होने की तिथि 05.11.2000 है। इकाई का मौजूदा पांच साल का ब्लॉक 31.03.2025 तक वैध है और इकाई ने सकारात्मक एनएफई बनाए रखा है।

2) दिनांक 23.11.2022 के पत्र के तहत, यूनिट ने ए-38, ए बी और सी, सेक्टर-64, नोएडा (यूपी) स्थित मौजूदा 100% ईओयू सुविधा से गेट नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर (प्लॉट ए-38सी) से 2000 वर्ग फीट के अतिरिक्त क्षेत्र के समर्पण/डीबॉन्डिंग के लिए आवेदन किया और कहा कि अपने घरेलू ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, वे अपनी मौजूदा ईओयू इकाई से 2000 वर्ग फुट क्षेत्र को सरेंडर करना चाहते हैं और उक्त स्थान अब एक सेवा के रूप में उपयोग किया जाएगा। भारत में स्थित बारको के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मरम्मत केंद्र।

3) ए-38, ए, बी और सी, सेक्टर-64, नोएडा में स्थित मौजूदा 100% ईओयू सुविधा से गेट नंबर 3, प्लॉट ए-38सी के ग्राउंड फ्लोर से 2000 वर्ग फीट के सरेंडर/डीबॉन्डिंग के लिए इकाई का अनुरोध (यूपी) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय, नोएडा को साइट निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करने और एलओपी से उक्त क्षेत्र को हटाने के लिए कोई बकाया नहीं होने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किया गया था।

4) पत्र सी नंबर V(30)Cus/STP/Barco/D-III/N-1/211/2017/Pt-2/24 दिनांक 10.01.2023 के माध्यम से सीमा शुल्क उपायुक्त (EPC) सर्कल-I, सी-56/42, सेक्टर-62, नोएडा ने सूचित किया कि, निरीक्षक एवं अधीक्षक ईपीसी-I, नोएडा द्वारा परिसर का दौरा किया गया था और यात्रा रिपोर्ट संलग्न है। इसके अलावा, उन्होंने सूचित किया कि उनके कार्यालय को पार्टी के एलओपी से उक्त परिसर को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यह नोट किया गया है कि,

*“मैसर्स बारको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-38, एबीसी सेक्टर-64, नोएडा-20301 (उत्तर प्रदेश) के परिसर का दौरा 16.12.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान विलोपन के लिए परिसर में अलग-अलग प्रवेश और निकास पाया गया और बाकी परिसर से कोई सीधी पहुंच नहीं थी, इसके अलावा परिसर पूरी तरह से खाली था और यात्रा के समय वहां कोई उपकरण, उपकरण उपलब्ध नहीं थे। सरेंडर किए जाने वाले परिसर का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग फुट है और दौरे के दौरान विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को पार्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधित लेआउट के अनुसार पाया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वे भारत में स्थित अपने ग्राहकों के लिए सेवा/मरम्मत केंद्र के रूप में विषय आधार का उपयोग करना चाहते हैं।”*

*सुरेंद्र मलिक*

**File No.12/39/2012-100PercentEOU**

5) श्री मनीष गौड़, उप प्रबंधक, इकाई, व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष उपस्थित। उन्होंने बताया कि वे भारत में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना चाहते हैं और इसलिए वे 2000 वर्ग फुट जमीन सरेंडर करना चाहते हैं। उनकी मौजूदा ईओयू इकाई से क्षेत्र और उक्त स्थान का उपयोग अब भारत में स्थित बारको के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेवा मरम्मत केंद्र के रूप में किया जाएगा।

6) यूएसी ने नोट किया कि प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पैरा 6.34 (7) के अनुसार, डीसी एलओपी में उल्लिखित स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन की अनुमति दे सकता है और/या अतिरिक्त स्थान शामिल कर सकता है बशर्ते कि अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव न हो। अनुमोदन है परिकल्पना की गई है और वह नया स्थान डीसी / नामित अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अतिरिक्त स्थान का समर्पण/विलोपन इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या नहीं। कमिटी ने नोट किया कि एलओपी में उल्लिखित स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान बदलने के बाद पहले वाले स्थान को वापस कर दिया जाएगा।

7) यह नोट किया गया था कि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 6.32 (बी) के अनुसार, ईओयू के यूएसी की शक्तियाँ और कार्य निम्नानुसार होंगे: -


(viii) "ईओयू की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करने के लिए।"

8) इसके अलावा, कमिटी ने कहा कि यूनिट ने सकारात्मक एनएफई बनाए रखा है।


उपरोक्त स्थान के समर्पण के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.18 में उल्लिखित बाहर निकलने की प्रक्रिया का भी पालन किया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क ने परिसर का दौरा किया और एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की और सूचित किया कि उनके कार्यालय को ए-38, ए, बी और सी, सेक्टर-64, नोएडा (यूपी) में स्थित मौजूदा 100% ईओयू सुविधा से गेट नंबर 3, प्लॉट ए-38सी के ग्राउंड फ्लोर से 2000 वर्ग फुट को हटाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

8) एफटीपी 2015-2020 के पैरा 6.18(ई), प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पैरा 6.32(बी)(viii) और पैरा 6.34(7) के संयुक्त पठन से, समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और सर्वसम्मति से प्लॉट ए-38सी के ग्राउंड फ्लोर के गेट नंबर 3 से 2000 वर्ग फीट) मौजूदा एलओपी नंबर 01 से ए-38, ए, बी और सी, सेक्टर-64, नोएडा (यूपी) में स्थित मौजूदा 100% ईओयू सुविधा से /170/2000-100% ईओयू दिनांक 10.03.2000 के विलोपन को मंजूरी दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक हुई।



(सुरेन्द्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त